राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 3627 दिनांक : 22-9-2011

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय :— माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47—48 की अनुपालना मे स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (जनरल स्टोर्स) के संचालन हेतु अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011—12 मे आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन। निर्देश संख्या 1 के सशोधन के क्रम में।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/3481—3576 दिनांक :21.09.2011

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47—48 की अनुपालना मे चिकित्सा केन्द्रों के दवा वितरण केन्द्रों हेतु अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011—12 मे आयोजना मद के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट—1 से 3 अनुसार एवं निर्देशों के तहत आयोजना मद मे राशि रू. 385.10 लाख (अक्षरे राशि तीन करोड पिचासी लाख दस हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया था।

संदर्भित पत्र द्वारा आवंटित बजट के लिए निर्देश संख्या 1 निम्नलिखित अनुसार अंकित किया गया था :—

"स्थानीय स्तर पर उपयोग मे ली जाने वाली दवाईयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाई मे अन्य जिलों की खरीद दर से भिन्नता न हो।"

अब उक्त निर्देश संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दरो की समानता को ध्यान मे रखने के लिए स्थानीय रूप से संदर्भित बजट आवंटन के तहत किये जाने वाले क्रय में दरों की औचित्यता अर्थात Resonability का ध्यान रखा जायेगा तथा ऐसे क्रय की अनुमति के लिए फैक्स द्वारा एम.डी. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को फैक्स किया जायेगा जिसके लिए दो कार्य दिवस के अन्दर—अन्दर अनुमति प्रदान की जायेगी।"

उक्त संदर्भित आदेश के परिशिष्ट संख्या 1 से 3 के निर्देश संख्या 2 में भी उपरोक्तानुसार संशोधन पढा जावे।

उक्त संशोधन वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 3627 दिनांक : 22-9-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2.प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर
3.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
4.उपशासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग को उनकी स्वीकृति क्रमांक प.17(14) चिस्वा/ग्रुप—2/2009 दिनांक 21.09.211 की निरन्तरता में।
5..समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
6.प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7.प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।